समक्ष एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और डी.एस. तेवतिया, जे.

सुशील कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या, 1982 का 139।

25 नवंबर 1983.

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय)—धारा 360 और 361—अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम (1958 का XX)—धारा 4—अफीम अधिनियम (1878 का/) - धारा 9 - परिवीक्षा पर एक दोषी की रिहाई - चाहे वह न्यायालय के विवेकाधीन हो - एक व्यक्ति से बड़ी मात्रा में अफीम बरामद की गई अभियुक्त को अफ़ीम अधिनियम की धारा 9 के तहत दोषी ठहराया गया - बरामद अवैध अफ़ीम की मात्रा - क्या इनकार करने का कोई विशेष कारण हो सकता है परिवीक्षा - यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश कि बड़ी मात्रा में क्या शामिल है।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360(1) में महत्वपूर्ण शब्द हैं "यह समीचीन है कि अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए"। स्पष्ट रूप से इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि यह धारा एक सक्षम प्रावधान है जो दोषी न्यायालय को परिवीक्षा देने का विवेकाधिकार केवल तभी प्रदान करती है जब ऐसा करना समीचीन प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि संहिता की धारा 360 पात्र व्यक्तियों को परिवीक्षा देने के लिए एक अनम्य आदेश है, लेकिन वास्तव में यह परिवीक्षा प्रदान करने की समीचीनता या अन्यथा पर विचार करने के लिए न्यायालय पर केवल एक कर्तव्य डालता है। इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि चूंकि संहिता की धारा 361 में इसके लाभ के लिए पात्र व्यक्ति के मामले में इसे अस्वीकार करने के लिए एक विशेष कारण की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यापक नियम इसका अनुदान होगा और इसका इनकार अच्छे कारण के लिए होगा। धारा 360(1) में समान रूप से महत्वपूर्ण शब्द हैं "अदालत उसे तुरंत सजा देने के बजाय कोई भी सजा दे सकती है"। यहाँ फिर से प्रयुक्त शब्द 'हो सकता है' है और इसे 'करेगा' के रूप में पढ़ने का कोई कारण नहीं है। पुनः, उपरोक्त शब्द स्पष्ट रूप से

उसे दंड देने या परिवीक्षा देने के दो विकल्पों के लिए 'बजाय*' शब्द का उपयोग करके विकल्प को मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दें। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 360 सजा देने वाले न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है

(पैरा 6)

यह माना गया कि अपराध की जघन्यता और राजनीतिक निकाय पर इसका हानिकारक प्रभाव, कानून की नजर में, यदि मौलिक नहीं है, तो परिवीक्षा की मंजूरी या इनकार के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक कारक है। यदि ऐसा है, तो व्यावसायिक लाभ के लिए अफीम की तस्करी एक अपराध है जो समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए कड़ी सजा नीति की आवश्यकता है और ऐसे अपराधों के लिए परिवीक्षा देना अनुचित है। यह तथ्य कि अफ़ीम के उत्पादन और इसकी बिक्री पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से में प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह दर्शाता है कि इसकी खपत को नागरिकों के लिए हानिकारक माना जाता है। बड़े पैमाने पर अफ़ीम की तस्करी. यह एक निंदनीय अपराध है जो आम तौर पर समाज की भलाई को खतरे में डालता है। अपनी प्रकृति से, अपराध कोई मनमौजी अपराध नहीं है या किसी क्षणिक आवेग में किया गया अपराध नहीं है, बल्कि एक संगठित अंडरवर्ल्ड व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जानबूझकर कानून का उल्लंघन करके व्यावसायिक लाभ के लिए। ऐसा अपराध. गुंडागर्दी का व्यापार करने का प्रयास। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़े पैमाने पर अफ़ीम की तस्करी अंडरवर्ल्ड अपराध के एक संगठित रिट-वर्क के माध्यम से की जाती है और हो सकता है कि उसे एक सफेदपोश के रूप में लेबल किया गया हो, जिस पर पंगा लेना मुश्किल है-परिणामस्वरूप एक व्यक्ति के पास से अफ़ीम की एक बड़ी खेप की बरामदगी उसके लिए दोषी साबित हुई। केवल .एक तटस्थ या अप्रासंगिक कारक नहीं है। यह एक अनम्य निष्कर्ष निकालता है कि अपराधी एक संगठित रैकेट का हिस्सा है और इस प्रकार, यह माना जाता है कि एक दोषी अभियुक्त से बड़ी मात्रा में अफीम की बरामदगी संहिता की धारा 361 के अर्थ में एक विशेष कारण होगी। उक्त संहिता की धारा 360 के तहत या अपराधी अधिनियम की परिवीक्षा के प्रावधानों के तहत उसे परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है।

पैरा 7,8 और 16

माना जाता है कि- अफीम का उपयोग नशेड़ियों द्वारा भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है और यहां तक कि एक तोला अफीम एक आदतन नशेड़ी के व्यक्तिगत उपभोग के लिए एक सप्ताह या उससे अधिक के लिए पर्याप्त होगी। एक व्यापक नियम के रूप में, 4 किलोग्राम या उससे अधिक की वसूली पर उसके कब्जे का नियम केवल एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए था। एक्स एक व्यसनी है और यह धारणा अच्छी तरह से स्थापित होगी कि अपराधी इस प्रतिबंधित सामग्री की भूमिगत तस्करी के चक्र में एक दल था।

(पैरा 10).

गुरबचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1977 सी.एल.आर. (पंजाब और हरियाणा) 20.

उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1982 (2) सी.एल.आर. 697.

खारिज कर दिया गया।

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 22 अप्रैल, 1982 को विद्वान एकल न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया द्वारा मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया की बड़ी पीठ ने अंततः 25 नवंबर, 1983 को मामले का फैसला किया। सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण के लिए याचिका। पी.सी. श्री बारू राम गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार। सोनीपत, दिनांक। 23 जनवरी, 1982 को श्री अर्जन सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत द्वारा 8 दिसंबर, 1980 को याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने की पुष्टि की गई।

आरोप और सजा:- भारतीय अफीम अधिनियम की धारा 9 के तहत एक वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1,500 रुपये का जुर्माना देना होगा 1,500 रुपये का जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

याचिकाकर्ता के वकील एस. सी. कपूर।

राज्य की ओर से वकील मुनेश्वर पुरी।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया J

1. क्या भारतीय अफीम अधिनियम की धारा 9 के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी व्यक्ति से बड़ी मात्रा में अफीम की बरामदगी संहिता की धारा 361 के अर्थ में एक विशेष कारण होगी; उक्त संहिता की धारा 360 के तहत या अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत उसे परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार करने की आपराधिक प्रक्रिया, डिवीजन बेंच के लिए इस संदर्भ की आवश्यकता वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है।

2. 10 सितंबर 1976 को सुबह 5 बजे याचिकाकर्ता सुशील कुमार को पुलिस पार्टी ने बहालगढ़ गांव के इलाके में ग्रैंड ट्रंक रोड पर अकेले कार चलाते हुए रोका। कार की तलाशी में कार की पिछली सीट के नीचे एक छोटे टैंक का पता चला, जिसमें नीले रंग के प्लास्टिक के 25 छोटे पैकेट थे, जिनका वजन 65 किलोग्राम था। इसके बाद हुए मुकदमे में, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत द्वारा अफीम अधिनियम की धारा 9 के तहत दोषी ठहराया गया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया और उसे एक साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 1500/-. अपील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और दबाव डालने पर भी परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया।

3. यह आपराधिक पुनरीक्षण मेरे विद्वान भाई तेवतिया, जे. एकल पीठ के सामने , पहले भी आया था; उसे; इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसलों के आधार पर परिवीक्षा का दावा फिर से जोर-शोर से किया गया और यह तर्क दिया गया कि बड़ी मात्रा में अफीम की बरामदगी इस मुद्दे के

लिए अप्रासंगिक थी और इसे परिवीक्षा में गिरावट का विशेष कारण नहीं माना जा सकता था। न्यायालय के भीतर न्यायिक राय के कुछ विरोधाभास को देखते हुए, मामले को एक आधिकारिक निर्णय के लिए भेजा गया था।

4. सबसे पहले, यह देखा जा सकता है कि दोषसिद्धि को गुण-दोष के आधार पर चुनौती नहीं दी गई है और जाहिर तौर पर इसे शायद ही चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एससी कपूर ने मुख्य रूप से इस आधार पर परिवीक्षा का लाभ देने के लिए अपना रुख दोहराया है कि याचिकाकर्ता से बरामद की गई बड़ी मात्रा में अफीम संहिता की धारा 360 के तहत मुद्दे के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त धारा स्वयं कानूनी मानदंड प्रदान करती है जहां इसका लाभ दिया जाना था, उदाहरण के लिए, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के मामलों में, यदि 7 वर्ष या उससे कम की सजा वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और इससे कम उम्र के व्यक्तियों के मामलों में। 21 वर्ष, या महिलाएँ, उन अपराधों के लिए जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं और इसके अलावा वे पिछले दोषी नहीं थे। इस आधार पर यह आग्रह किया गया कि क़ानून ने स्वयं उन श्रेणियों को स्पष्ट कर दिया है जिनमें संहिता की धारा 360 का लाभ दिया जाना था और जहाँ ऐसा नहीं किया जाना था, तो न्यायिक व्याख्या द्वारा कोई और बंधन नहीं लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत परिवीक्षा अनुदान पर। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आरोपी व्यक्ति अन्यथा धारा 360 के लाभ के पात्र थे, वहां परिवीक्षा देने या अस्वीकार करने का एकमात्र विचार उसमें निर्दिष्ट अपराधियों की उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त होगा। उनके अनुसार, बड़ी मात्रा में अफीम की बरामदगी आदि सहित किसी अन्य विचार में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कई एकल पीठों का संदर्भ दिया गया था, लेकिन विशेष निर्भरता गुरबचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1977 चंद एलआर (सीआरआई) 20 (पुंज और हर) और उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1982(2) चंद एलआर (सीआरआई) 697 जिसमें 4 किलोग्राम या उससे अधिक अवैध अफीम की बरामदगी के मामले में भी परिवीक्षा का लाभ दिया गया था। आरोपी।

5. उपरोक्त तर्क का मूल्यांकन करते समय, सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संहिता की धारा 360 और 361 एकीकृत प्रावधान हैं जिन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, इसके सामंजस्यपूर्ण निर्माण से संकेत मिलेगा कि सभी मामलों में जहां अपराधी पात्र होगा संहिता की धारा 360 के लाभ के लिए, उसे उक्त लाभ को अस्वीकार करने के लिए धारा 361 के अर्थ के भीतर विशेष कारण दर्ज किए जाने चाहिए। जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य ILR (1981) 1 पुंज और हर 1: 1980 Cri LJ 1218 में पूर्ण पीठ ने आधिकारिक रूप से माना है कि संहिता की धारा 360 के प्रावधान स्पष्ट रूप से इस अर्थ में अनिवार्य हैं कि न्यायालय को ऐसा करना चाहिए। अपने न्यायिक दिमाग को लाभ देने या अस्वीकार करने पर लागू करें और इसके प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा होने पर, बड़ा सवाल व्यावसायिक लाभ के लिए अफीम तस्करी के सिद्ध मामलों में सही सजा नीति है और विशेष रूप से क्या इसकी बरामदगी का बड़ा हिस्सा परिवीक्षा में गिरावट के लिए एक विशेष कारण होगा।

6. मेरे विचार से हमारे सामने मौजूद विशिष्ट मुद्दे के प्रयोजनों के लिए धारा 360(1) में महत्वपूर्ण शब्द हैं... "यह समीचीन है कि अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए"। स्पष्ट रूप से इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि यह धारा एक सक्षम प्रावधान है जो दोषी न्यायालय को परिवीक्षा

देने का विवेकाधिकार केवल तभी प्रदान करती है जब ऐसा करना समीचीन प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि संहिता की धारा 360 पात्र व्यक्तियों को परिवीक्षा देने के लिए एक अनम्य आदेश है, लेकिन वास्तव में यह परिवीक्षा प्रदान करने की समीचीनता या अन्यथा पर विचार करने के लिए न्यायालय पर केवल एक कर्तव्य डालता है। इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि चूंकि संहिता की धारा 361 में इसके लाभ के लिए पात्र व्यक्तियों के मामले में इसे अस्वीकार करने के लिए विशेष कारणों की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यापक नियम इसका अनुदान होगा और इसका इनकार अच्छे कारणों से होगा। फिर यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 360(1) में समान रूप से महत्वपूर्ण शब्द हैं...' "अदालत, उसे तुरंत कोई सजा देने के बजाय..." यहां फिर से इस्तेमाल किया गया शब्द है "हो सकता है" और इसे "करेगा" के रूप में पढ़ने का कोई कारण नहीं है और हमारे सामने दूर-दूर तक यह तर्क नहीं दिया गया था कि इसका ऐसा अर्थ लगाया जाना चाहिए। फिर से उपरोक्त शब्द स्पष्ट रूप से उसे सजा देने या परिवीक्षा देने के दो विकल्पों के लिए "इसके बजाय" शब्द का उपयोग करके मजिस्ट्रेट के विवेक पर विकल्प छोड़ते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 360 सजा देने वाले न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है। इसलिए, असली सवाल यह है कि परिवीक्षा देने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देश क्या हैं, और ऐसा न करने के लिए संहिता की धारा 361 के तहत विशेष कारण क्या होंगे।

7. अब यह धारा 360 से ही और समान रूप से अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 के समान प्रावधानों से स्पष्ट है कि कानून की नीति यह है कि जहां कोई अपराध अत्यधिक जघन्य है, परिवीक्षा की मंजूरी को कानून के मामले के रूप में खारिज कर दिया जाता है। . इसलिए अपराध की जघन्यता या गंभीरता या तो परिवीक्षा पर पूरी तरह से रोक लगा देगी या इसे अनुपयुक्त बना देगी कि इसे दिया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर यही कारण है कि संहिता की धारा 360 के तहत इक्कीस साल से कम उम्र के व्यक्तियों के मामले में, और यहां तक कि महिलाओं के मामले में, यदि अपराध मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो कानून परिवीक्षा देने पर रोक लगाता है। अपराधी की उम्र, चरित्र या पूर्ववृत्त कुछ भी हो। इसी प्रकार इक्कीस वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के मामलों में सात वर्ष से अधिक की सजा वाले अपेक्षाकृत कम अपराध भी उक्त धारा के तहत एक समान रोक बनाते हैं। इसलिए, इसका मतलब यह होगा कि अपराध की जघन्यता और राजनीतिक निकाय पर इसका हानिकारक प्रभाव, कानून की नजर में, यदि मौलिक नहीं है, तो परिवीक्षा की मंजूरी या इनकार के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक कारक है। यदि ऐसा है, तो यह देखा जाना बाकी है कि क्या व्यावसायिक लाभ के लिए अफीम की तस्करी एक अपराध है जो समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए कड़ी सजा नीति की आवश्यकता है और ऐसे अपराधों के लिए परिवीक्षा देना अनुचित है।

8. अब यह तथ्य कि अफ़ीम के उत्पादन और इसकी बिक्री पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से में प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह दर्शाता है कि इसकी खपत को नागरिकों के लिए हानिकारक माना जाता है। हमारे सामने इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े पैमाने पर अफ़ीम की तस्करी एक निंदनीय अपराध है जो आम तौर पर समाज की भलाई को खतरे में डालती है। अपने स्वभाव से, यह अपराध मनमौजी अपराध नहीं है या क्षणिक आवेग में किया गया नहीं है, बल्कि कानून का उल्लंघन करके व्यावसायिक लाभ के लिए स्थापित एक संगठित अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है। एक पुरानी अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए, इस तरह के अपराध

को गुंडागर्दी से व्यापार करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े पैमाने पर अफ़ीम की तस्करी अंडरवर्ल्ड अपराध के एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से की जाती है और इसे सफ़ेदपोश के रूप में भी जाना जा सकता है, जिससे निपटना मुश्किल है। नतीजतन, दोषी साबित हुए व्यक्ति से बड़ी मात्रा में अफीम की बरामदगी महज एक तटस्थ या अप्रासंगिक कारक नहीं है। इससे एक अनम्य निष्कर्ष निकलता है कि अपराधी एक संगठित गिरोह का हिस्सा है,

9. फिर, केवल यह तथ्य कि इस तरह के अपराध का दोषी व्यक्ति इस अर्थ में पहला अपराधी है कि उसके खिलाफ पहले का कोई संबंध साबित नहीं हुआ है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह पहला अपराध है जो उसने वास्तव में किया है। यह संभवतः केवल आकस्मिक परिस्थिति की ओर संकेत करता है कि वह पहली बार पकड़ा गया होगा। यह स्वयंसिद्ध है कि इस अंडरवर्ल्ड व्यापार में केवल नौसिखियों को सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में अफ़ीम ले जाने का काम नहीं सौंपा जाएगा। एक तरह से, ऐसे अपराधी को कुछ समय के बाद अपराध की दुनिया में प्रवेश करना पड़ा होगा। इस प्रकार, अफ़ीम की एक बड़ी खेप की बरामदगी का पहला अपराध भी यह अनुमान लगा सकता है कि अभियुक्त अफ़ीम तस्करी के अवैध व्यापार में एक अनुभवी धावक है।

10. वास्तव में अफ़ीम की एक बड़ी खेप कितनी होगी? जाहिर तौर पर इसकी कोई भी अनम्य कट और ड्राई परिभाषा न तो संभव है और न ही वांछनीय। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अफीम का उपयोग नशेड़ियों द्वारा भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है और बार में यह कहा गया था और वास्तव में इस पर गंभीरता से विवाद नहीं किया गया था कि एक तोला अफ़ीम भी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत उपभोग के लिए एक सप्ताह या उससे अधिक के लिए पर्याप्त होगा। आदतन व्यसनी. एक व्यापक नियम के रूप में, हम यह विचार करने के इच्छुक हैं कि 4 किलोग्राम या उससे अधिक की बरामदगी इस बात से इनकार करेगी कि उस पर कब्ज़ा एक नशेड़ी द्वारा केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए था और इससे यह धारणा भी बनेगी कि अपराधी एक गिरोह था। इस प्रतिबंधित वस्तु की भूमिगत तस्करी का पहिया।

11. फिर भी, अवैध अफ़ीम को अपने अवैध व्यापार में जो मूल्य मिलता है, उससे यह संकेत मिलता है कि पेशेवर अपराधियों के लिए प्रलोभन बहुत बड़े और आकर्षक हैं। अंडरवर्ल्ड में अफ़ीम की कीमत के बारे में कोई अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस अपराध के वित्तीय लाभ असाधारण रूप से आकर्षक हैं, जो न केवल इस देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में इसकी व्यापकता को स्पष्ट करता है। इस अपराध का.

12. उपरोक्त के आलोक में, मुद्दा यह है कि क्या ऐसे अपराध के दोषी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, या वैकल्पिक रूप से, क्या न्यायालय परिवीक्षा की मंजूरी के लिए अपने न्यायिक, विवेक का प्रयोग करेगा। ऐसे आरोपी का पक्ष. मेरा मानना है कि इस प्रश्न का एक स्पष्ट उत्तर पहले से ही निम्नलिखित शब्दों में प्यारली के. तेजानी बनाम महादेव रामचन्द्र डांगे मामले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुछ निचले स्तर के संदर्भ में भी दिया जा चुका है (पैरा 20) :

परिवीक्षा सिद्धांत का दयालु अनुप्रयोग सामाजिक रक्षा की अनिवार्यताओं और नैतिक धर्मांतरण की असंभवताओं से नकारात्मक है। समाज द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता, जिसके असामाजिक कार्य, एक सम्मानजनक व्यापार के रूप में प्रच्छन्न होकर, कई

निर्दोष लोगों को खतरे में डालते हैं। वह एक सुरक्षा जोखिम है. दूसरे, सफेदपोश अपराधियों द्वारा किए गए इन आर्थिक अपराधों को सौम्य परिवीक्षा प्रक्रिया द्वारा रोके जाने की संभावना नहीं है। विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध न तो आकस्मिक उकसावे और न ही उद्देश्य, बल्कि उपभोक्ताओं की संख्या से योजनाबद्ध लाभ कमाना प्रोत्साहन प्रदान करता है - जिसे चिकित्सीय परिवीक्षा उपाय द्वारा आसानी से मानवीय नहीं बनाया जा सकता है। यह बिना महत्व के नहीं है कि भारत के विधि आयोग की हालिया रिपोर्ट (27वीं रिपोर्ट) में उपयुक्त संशोधनों द्वारा अधिनियम को सामाजिक और आर्थिक अपराधों से बाहर करने की सिफारिश की गई है।

XXX XXX XXX वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में परिवीक्षा आंदोलन को अभी तक इन अड़ियल समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है, अधिक विकसित परिस्थितियों में एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़े। फिलहाल हम आरोपी को परिवीक्षा पर छोड़ने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकते।

प्रेम बल्लब बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) मामले में उपरोक्त दृष्टिकोण को फिर से बलपूर्वक दोहराया गया है । यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि खाद्य भोजन और आर्थिक अपराधों के संदर्भ में ऊपर जो कहा गया है वह व्यावसायिक लाभ के लिए प्रतिबंधित अफ़ीम की तस्करी पर और भी अधिक बल के साथ लागू होता है।

13-14. समान रूप से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां इस मुद्दे को जोगिंदर सिंह के मामले (1980 सीआरआई एलजे 1218) (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा काम करने के दोषी अपराधियों के लिए सजा नीति के संदर्भ में सादृश्य के माध्यम से कवर किया गया है। मेरे विचार में, अवैध शराब के संबंध में जो कुछ कहा गया है, वह अवैध अफ़ीम की बड़ी मात्रा के मामले में भी अधिक कठोरता के साथ लागू होता है। इसलिए, केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसे आरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा से वंचित करने की सामान्य सजा नीति से संभवतः विचलन किया जा सकता है।

15. याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत मिसाल पर ध्यान देना बाकी है। गुरबचन सिंह के मामले 1977 चंद एलआर (क्रि) 20 (पुनि और हर) (सुप्रा) में फैसले का संदर्भ यह संकेत देगा कि इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से बहस नहीं की गई थी और सजा नीति के बारे में उठाए गए सवाल और इसकी राशि क्या होगी परिवीक्षा से इनकार करने के विशेष कारणों पर शायद ही विचार किया गया। हालाँकि, यदि निर्णय को इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकारी माना जाता है कि 4 किलोग्राम या उससे अधिक अवैध अफीम की सिद्ध बरामदगी के मामले भी आम तौर पर अभियुक्त के पक्ष में न्यायालय के विवेक को आमंत्रित करेंगे, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है यह एक अच्छा प्रस्ताव है और इसके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। ऊपर जो कहा गया है वह उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1982) 2 चंद एलआर (सीआरआई) 607 के फैसले के ऑपरेटिव भाग में संक्षिप्त अवलोकन पर समान रूप से लागू होता है। इसमें 5.25 किलोग्राम अफीम की बरामदगी में भी, परिवीक्षा का लाभ इसलिए दिया गया क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से प्रचारित नहीं किया गया है। सबसे बड़े सम्मान के साथ यदि इस निर्णय को यह मानने के अधिकार के रूप में पढ़ा जाता है कि अफ़ीम की बड़ी मात्रा परिवीक्षा में गिरावट का विशेष कारण नहीं है तो यह अच्छा कानून नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित अन्य एकल पीठ के फैसले अफीम की कुछ हद तक कम बरामदगी से संबंधित थे और किसी भी मामले में कानूनी मुद्दों पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया था और इसलिए, व्यक्तिगत नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

16. अंत में निष्कर्ष निकालने के लिए, शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया है और यह माना जाता है कि एक दोषी अभियुक्त से बड़ी मात्रा में अफीम की बरामदगी धारा 361 के अर्थ में एक विशेष कारण होगी। उक्त संहिता की धारा 360 के तहत या अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार करने के लिए संहिता की।

17. उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर इस आपराधिक पुनरीक्षण में याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया सजा का एकमात्र प्रश्न याचिकाकर्ता के खिलाफ समाप्त किया जाता है। आपराधिक पुनरीक्षण योग्यताहीन है और इसे खारिज किया जाता है।

डीएस तेवतिया, जे.

18. मैं सहमत हूं.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा